

18/04/2024

शामिल विषय (TOPICS COVERED)

1. केंद्र ने ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम मानदंडों में बदलाव किया; पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर ध्यान केंद्रित करने के लिए (18 अप्रैल) (GS PAPER III: पर्यावरण)
2. प्रो. जोधका को मैल्कॉम आदिसेशिया पुरस्कार 2024 (18 अप्रैल) (प्रारंभिक) मिलेगा
3. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और जलवायु कार्रवाई का फैसला (18 अप्रैल) (GS PAPER III: जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण और प्रजाति संरक्षण। GS PAPER II: मौलिक अधिकार)
4. 2024 में मानसून पर (18 अप्रैल) (GS PAPER I: भूगोल)
5. भारत की 'हीट एक्शन प्लान' पर (18 अप्रैल) (GS PAPER III: पर्यावरण)

केंद्र ने ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम मानदंडों में बदलाव किया; पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर ध्यान केंद्रित करने के लिए (18 अप्रैल) (GS PAPER III: पर्यावरण)

- ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (जीसीपी) ग्रीन क्रेडिट के लिए निम्नीकृत वन भूमि में वनीकरण परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करता है।
- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि केवल वित्तीय लाभ के लिए वृक्षारोपण के बजाय पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- 13 राज्यों के वन विभागों ने निम्नीकृत वन भूमि के 387 भूमि पार्सल की पेशकश की है, जो कुल मिलाकर लगभग 10,983 हेक्टेयर है।
- व्यक्ति और कंपनियां इन वनों की बहाली के लिए भुगतान करने के लिए भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE) में आवेदन कर सकते हैं।
- वास्तविक वनीकरण राज्य वन विभागों द्वारा किया जाएगा।
- दो साल के बाद, प्रत्येक लगाए गए पेड़ का मूल्यांकन आईसीएफआरई द्वारा किया जाएगा। और सफल होने पर, यह एक 'ग्रीन क्रेडिट' के लायक होगा।

- इन ग्रीन क्रेडिट का उपयोग वित्तपोषण संगठनों द्वारा दो तरीकों से किया जा सकता है:
 1. वन कानूनों का अनुपालन करने के लिए संगठनों को वन भूमि डायवर्जन के लिए कहीं और उतनी ही भूमि प्रदान करके मुआवजा देना आवश्यक है।
 2. पर्यावरण, सामाजिक और शासन मानदंडों के तहत रिपोर्ट करना या कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) आवश्यकताओं को पूरा करना।

प्रो. जोधका को मैल्कॉम आदिसेशिया पुरस्कार 2024 (18 अप्रैल) (प्रारंभिक) मिलेगा

आदिसेशिया पुरस्कार

- प्रतिष्ठित भारतीय पुरस्कार: विकास अध्ययन में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है।
- द्वारा स्थापित: मैल्कम और एलिजाबेथ आदिसेशिया ट्रस्ट।
- पुरस्कारों के प्रकार:
 - विकास अध्ययन में विशिष्ट योगदान के लिए मैल्कम एस. आदिसेशिया पुरस्कार।
 - एलिजाबेथ आदिसेशिया पुरस्कार (2018 में शुरू किया गया), 45 वर्ष से कम उम्र के युवा विद्वानों को प्रदान किया गया।

पुरस्कार का फोकस:

- अनुसंधान, शिक्षण, प्रकाशन, वकालत और नीति निर्माण के माध्यम से सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और मूल योगदान का सम्मान करता है।

नामांकन और चयन:

- नामांकन: शैक्षणिक और विकास क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों से आमंत्रित।
- स्वतंत्र जूरी: प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक राष्ट्रीय स्तर की जूरी पुरस्कार विजेताओं की सिफारिश करती है।

पुरस्कार प्रस्तुति:

- प्रतिवर्ष, विशेष रूप से नवंबर में, पुरस्कार दिया जाता है।
- आदिसेशिया मेमोरियल व्याख्यान देने का अवसर शामिल है।

डॉ. मैल्कम एस. आदिसेशिया के बारे में :

- प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री और शिक्षक।



- यूनेस्को के पूर्व उप महानिदेशक।
- मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज (MIDS) की स्थापना की।

- जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के प्रोफेसर सुरिंदर एस. जोधका को मैल्कॉम आदिसेशिया पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है।

- अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ डेवलपमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर विकास कुमार को एलिजाबेथ आदिसेशिया प्रशस्ति पत्र-2024 से सम्मानित किया जाएगा।
- ये पुरस्कार उत्कृष्ट सामाजिक वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं।
- प्राप्तकर्ताओं का चयन सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान और उपलब्धियों के आधार पर किया जाता है।

छोटे पैमाने के किसान खेतों पर पेड़ों से कैसे लाभान्वित हो सकते हैं? (18 अप्रैल)

पृष्ठभूमि:

- 2014 से पहले, भारत में कृषि वानिकी प्रथाएँ मौजूद थीं लेकिन एक समर्पित राष्ट्रीय नीति ढांचे का अभाव था।
- एक नीति की आवश्यकता निम्न कारणों से उत्पन्न हुई:
 - कृषि वानिकी के लिए सीमित सरकारी समर्थन।
 - किसानों के सामने आने वाली तकनीकी और नियामक बाधाएँ।
 - वनों के बाहर अपर्याप्त वृक्ष आवरण के कारण मौजूदा वनों पर दबाव।

2014 में राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति (एनएपी) का परिचय:

- भारत सरकार की एक ऐतिहासिक पहल, जिससे यह **व्यापक कृषि वानिकी नीति अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया।**
- दिल्ली में आयोजित कृषि वानिकी पर विश्व कांग्रेस के दौरान **भारत सरकार के कृषि मंत्रालय** द्वारा लॉन्च किया गया।

एनएपी के मुख्य उद्देश्य:

- **आजीविका में सुधार:** पेड़ों को कृषि के साथ एकीकृत करके किसानों, विशेषकर छोटे किसानों के लिए आय सृजन और आर्थिक अवसर बढ़ाएँ।
- **पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना:** वन आवरण बढ़ाना, भूमि स्वास्थ्य में सुधार करना, जैव विविधता का संरक्षण करना और कार्बन पृथक्करण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को कम करना।
- **संस्थागत समर्थन सुनिश्चित करें:** कृषिवानिकी प्रथाओं के लिए अनुसंधान, विकास, विस्तार, क्षमता निर्माण और बाजार संपर्क के लिए तंत्र स्थापित करें।

एनएपी के फोकस क्षेत्र:

- **अपनाने को बढ़ावा देना:** किसानों को सब्सिडी, तकनीकी मार्गदर्शन और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करके कृषि वानिकी प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- **नियामक ढाँचा:** खेत में उगे पेड़ों की कटाई, परिवहन और विपणन से संबंधित नियमों को सरल बनाएं।
- **अनुसंधान और विकास:** उपयुक्त कृषि वानिकी मॉडल, वृक्ष प्रजातियों के चयन और विभिन्न कृषि प्रणालियों के साथ एकीकरण पर अनुसंधान में निवेश करें।
- **संस्थागत तंत्र:** नीति कार्यान्वयन और समन्वय की निगरानी के लिए एक समर्पित संस्थागत निकाय की स्थापना करें।

एनएपी के लाभ:

- भारत में कृषिवानिकी क्षेत्र के विकास के लिए एक रोडमैप प्रदान करता है।
- टिकाऊ भूमि प्रबंधन के लिए किसानों को ज्ञान और संसाधनों से सशक्त बनाना।
- पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन शमन के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देता है।
- भारत में कृषि में ऐतिहासिक रूप से फसलों, पेड़ों और पशुधन को एकीकृत करते हुए विविध भूमि-उपयोग प्रथाओं को शामिल किया गया है।
- कृषिवानिकी, जो इस एकीकृत दृष्टिकोण को शामिल करती है, हरित क्रांति से प्रेरित मोनोक्रॉपिंग के विकल्प के रूप में लोकप्रियता प्राप्त कर रही है।
- गाजा चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव ने तमिलनाडु में चित्रा जैसे किसानों को अपनी फसलों में विविधता लाने और जोखिमों को कम करने के साधन के रूप में कृषि वानिकी का पता लगाने के लिए प्रेरित किया।
- भारत ने दशकों के अनुसंधान के आधार पर, विशेष रूप से 2014 में राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति की स्थापना के माध्यम से कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के प्रयास किए हैं।
- हालाँकि, कृषि वानिकी को अपनाना मध्यम या बड़ी भूमि वाले किसानों तक ही सीमित है, छोटे धारकों को लंबी गर्भधारण अवधि, प्रोत्साहन की कमी और कमजोर बाजार संपर्क जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- कृषि वानिकी में चित्रा की सफलता किसानों की आजीविका बढ़ाने की इसकी क्षमता को उजागर करती है और खेतों में पेड़ों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने का मामला प्रस्तुत करती है।

बार-बार होने वाली पानी की समस्या

- "भारत के वनों के बाहर वृक्ष" (टीओएफआई) पहल पांच साल का प्रयास है जिसका उद्देश्य भारत में पारंपरिक वन क्षेत्रों के बाहर वृक्ष आवरण को बढ़ाना है।
- यह यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) और भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच एक सहयोग है।
- TOFI सात भारतीय राज्यों पर ध्यान केंद्रित करता है और इसका उद्देश्य इस विस्तार को सुविधाजनक बनाने के लिए वृक्ष आवरण के विस्तार और प्रासंगिक हितधारकों को शामिल करने के अवसरों की पहचान करना है।
- इस पहल का उद्देश्य विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में वनों (टीओएफ) क्षेत्र के बाहर पेड़ों को बढ़ाने में आने वाली प्रमुख बाधाओं को दूर करना है।
- अनुसंधान और परामर्श के माध्यम से, इन राज्यों में छोटे किसानों के लिए पानी की उपलब्धता और वित्तीय बाधाएं आम चुनौतियां बनकर उभरी हैं।
- हालाँकि, TOFI का मानना है कि इन बाधाओं का समाधान सही हस्तक्षेप और समर्थन से प्राप्त किया जा सकता है।

सही देशी प्रजाति ढूँढना

- **2014 में तैयार की गई राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति ने** विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए पानी की उपलब्धता को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया।

- छोटे मालिक अक्सर पानी के लिए अतिरिक्त धन जुटाने के लिए संघर्ष करते हैं और ऐसा करने में उन्हें कर्ज उठाना पड़ सकता है, खासकर पेड़ के विकास के चरण के दौरान।
- **पेड़ों और फसलों के बीच जल प्रतियोगिता** पानी की कमी वाले वातावरणों में चिंता का विषय है, जैसे कठोर चट्टान वाले जलभृत और कम वर्षा वाले क्षेत्र।
- पानी के लिए फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा न करने वाले पेड़ उगाने से इस बाधा को दूर करने में मदद मिल सकती है।
- जलटोल ' नामक एक ओपन-सोर्स जल-लेखा उपकरण उन मामलों का आकलन करने में मदद करता है जहां पानी के उपयोग के लिए पेड़ों और फसलों के बीच व्यापार-बंद होता है।
- जलटोल ' जैसे उपकरण चिकित्सकों को जल-तनाव वाले क्षेत्रों में कृषिवानिकी के लिए उपयुक्त वृक्ष-फसल संयोजन का चयन करने में सक्षम बनाते हैं।
- कृषिवानिकी में आजीविका की स्थिरता बढ़ाने के लिए सही वृक्ष प्रजातियों का चयन महत्वपूर्ण है।
- किसान अक्सर तेजी से बढ़ने वाली, शाकाहारी-विकर्षक गैर-देशी वृक्ष प्रजातियों की ओर आकर्षित होते हैं, जो मिट्टी के स्वास्थ्य और मानव कल्याण के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।
- कैसुरीना और नीलगिरी के पेड़, दोनों गैर-देशी प्रजातियां, तेजी से बढ़ने वाली लकड़ी की प्रजातियों के उदाहरण हैं जो मुख्य रूप से अंतरफसल या पेड़-फसल संयोजन के बजाय बड़े मोनोकॉप ब्लॉक वृक्षारोपण में उगाए जाते हैं।
- कई मानदंडों को पूरा करने वाली देशी प्रजातियों को ढूंढना चुनौतीपूर्ण है लेकिन भूमि क्षरण को उलटने और आजीविका के अवसरों में विविधता लाने के लिए आवश्यक है।
- निर्णय समर्थन उपकरण, जैसे 'पुनर्स्थापना के लिए विविधता', पुनर्स्थापन उद्देश्यों के साथ संरक्षित उचित देशी प्रजातियों की पहचान करने के लिए व्यापक पादप विशेषता डेटाबेस का लाभ उठाते हैं।
- 'पुनर्स्थापना के लिए विविधता' जल्द ही पश्चिमी घाट क्षेत्र और उसके बाद अन्य क्षेत्रों के लिए सिफारिशों के साथ लॉन्च की जाएगी।

पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान

- कृषिवानिकी में बाधाओं और समाधानों की पहचान करने वाले विभिन्न अध्ययनों के बावजूद, इसके जमीनी कार्यान्वयन में अभी भी वित्तपोषण और बाजार संबंधों के लिए प्रणालीगत समर्थन का अभाव है।
- सरकारी नीतियां और योजनाएं अक्सर छोटे किसानों की विविध जरूरतों को नजरअंदाज कर देती हैं और भूमि जोत और जैव-भौतिकीय स्थितियों में क्षेत्रीय विविधताओं को ध्यान में रखने में विफल रहती हैं।
- उदाहरण के लिए, भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना 2023 में सख्त पात्रता मानदंड हैं जो छोटे धारकों के लिए प्रमाणन लागत को निषेधात्मक बना सकते हैं।
- नीति निर्माताओं को कृषि वानिकी परिवर्तन के लिए वित्तीय मार्ग के रूप में मौजूदा नीतियों और योजनाओं की व्यवहार्यता का आकलन करना चाहिए।
- पारिस्थितिकी तंत्र क्रेडिट और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान (पीईएस) उभरते प्रोत्साहन तंत्र हैं जो प्रकृति-केंद्रित अर्थशास्त्र को बढ़ावा देते हैं।
- पीईएस में एक सेवा उपयोगकर्ता शामिल होता है जो परागण जैसी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए एक सेवा प्रदाता को भुगतान करता है, जो मिट्टी और भूजल स्वास्थ्य में सुधार और जैव विविधता को बढ़ाने वाली प्रथाओं को प्रोत्साहित कर सकता है।
- हालाँकि, इन तंत्रों की प्रभावशीलता केवल प्रशासनिक सीमाओं पर नहीं, बल्कि एक विशिष्ट बायोफिजिकल क्षेत्र की अनूठी सेवाओं के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के खरीदारों और विक्रेताओं की पहचान करने पर निर्भर करती है।

एक कार्यप्रणाली

- भारत में कृषि वानिकी को अपनाने के लिए छोटे किसानों को शामिल करने की आवश्यकता है, जिनके पास अधिकांश कृषि भूमि है।
- हालाँकि, पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक कारक वर्तमान में छोटे धारकों द्वारा कृषिवानिकी को व्यापक रूप से अपनाने में बाधा डालते हैं।
- कृषिवानिकी प्रथाओं में संलग्न होने के लिए छोटे धारकों के लिए सुरक्षित भूमि स्वामित्व आवश्यक है।
- कृषिवानिकी को टिकाऊ और छोटे किसानों के लिए फायदेमंद बनाने के लिए बाजारों तक पहुंच सहित आर्थिक व्यवहार्यता महत्वपूर्ण है।
- स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र और लचीली आजीविका को बढ़ावा देकर संरक्षणवादियों, कृषि-अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं के हितों को संरेखित करने की क्षमता है।
- छोटे किसानों द्वारा कृषिवानिकी को तेजी से अपनाने की सुविधा के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना आवश्यक है।

जब ब्राजील में यह छोटा मेंढक चिल्लाता है, तो आप इसे नहीं सुनेंगे (18 अप्रैल) (GS PAPER III: बेसिक साइंस)

- शिकारियों के विरुद्ध विभिन्न रक्षा तंत्र अपनाते हैं।
- इनमें जहरीला होना, चमकीले रंग का होना, या बड़ा दिखने के लिए अपने शरीर को फुलाना शामिल है।
- एक अन्य रक्षा रणनीति आस-पास के मेंढकों को शिकारियों के बारे में सचेत करने के लिए तेज़ आवाज़ें निकालना है।
- वैज्ञानिकों ने हाल ही में पता लगाया है कि ब्राज़ीलियाई अटलांटिक वर्षावन में एक छोटी मेंढक प्रजाति अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ उत्सर्जित करती है।
- ये अल्ट्रासोनिक 'चीखें' मनुष्यों के लिए अश्रव्य हैं लेकिन शिकारियों को डरा सकती हैं।
- इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी, साओ पाउलो और प्रोजेक्ट डैकनिस के शोधकर्ताओं ने इन अल्ट्रासोनिक ध्वनियों को रिकॉर्ड किया।
- मेंढक, जिसे छोटे पत्तों वाले कूड़े वाले मेंढक (हैडडस) के नाम से जाना जाता है बिनोटोटस), शिकारियों के खिलाफ रक्षात्मक आंदोलन के रूप में इन चीखों को उत्सर्जित करता है।
- इस व्यवहार के दौरान, मेंढक अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ऊपर उठाता है, अपना मुंह चौड़ा खोलता है और अपना सिर पीछे की ओर फेंकता है।
- हालाँकि, शोधकर्ताओं ने मेंढक द्वारा उत्सर्जित कोई आवाज़ नहीं सुनी।
- शोधकर्ताओं ने लीफ लिटर मेंढक द्वारा उत्सर्जित आवाज़ की उपस्थिति की जांच करने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग किया।
- उन्होंने पाया कि मेंढक की चीख की आवृत्ति इंसानों की आवाज़ से कहीं ज़्यादा थी।
- कॉल की आवृत्ति मानव श्रवण सीमा के भीतर 7 kHz से 20 kHz तक और मानव श्रवण से परे 20 kHz से 44 kHz तक होती है।
- लीफ लिटर मेंढक शिकारियों के खिलाफ रक्षा तंत्र के रूप में या संभवतः अन्य जानवरों को आकर्षित करने के लिए इन अल्ट्रासोनिक कॉलों का उत्सर्जन करते हैं जो उनकी रक्षा कर सकते हैं।

- इसमें शामिल वैज्ञानिकों में से एक, मारियाना रेटुसी पोंटेस को ब्राजील के वर्षावनों में एक समान मेंढक का सामना करने के बाद इस रक्षा तंत्र पर संदेह हुआ।
- जब उसने मेंढक को उठाया तो उसने पत्ती कूड़े वाले मेंढक के समान रक्षात्मक हरकतें कीं, लेकिन उस समय उसके पास उसकी आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए उपकरण नहीं थे।
- यह खोज सवाल उठाती है कि कौन से शिकारी चीखों से प्रभावित होते हैं, वे उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, और चीख का अंतिम उद्देश्य क्या है।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और जलवायु कार्रवाई का फैसला (18 अप्रैल) (GS PAPER III: जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण और प्रजाति संरक्षण। GS PAPER II: मौलिक अधिकार)

भारत की शीर्ष अदालत का अंतिम निर्णय अभी भी लंबित है, यह न्यायपालिका के लिए उचित परिवर्तन ढांचे को आगे बढ़ाने और समावेशी और न्यायसंगत जलवायु कार्रवाई को सक्षम करने का एक आदर्श मौका है।





- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से मुक्त होने को मौलिक अधिकार माना है।
- पर्यावरणविद मुख्य रूप से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरक्षा के लिए इसके निहितार्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- अधिकार को मान्यता देकर लेकिन इसकी विशिष्टताओं को परिभाषित न करके, न्यायालय इसकी सामग्री पर भविष्य में चर्चा की अनुमति देता है।
- यह दृष्टिकोण समय के साथ अधिकार की अधिक जानकारीपूर्ण समझ को जन्म दे सकता है।
- आगे बढ़ने के तरीके के रूप में उचित संक्रमण ढांचे का उपयोग प्रस्तावित है।
- यह निष्पक्ष जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा दे सकता है और अधिकार की अधिक समावेशी परिभाषा में योगदान दे सकता है।

सही

- राजस्थान और गुजरात गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मेजबानी करते हैं और इनमें सौर और पवन ऊर्जा विकास की क्षमता है।
- बस्टर्ड के संरक्षण के लिए 2019 में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें बिजली बुनियादी ढांचे के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।
- सुप्रीम कोर्ट (एमके रंजीतसिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले, 2021) ने बस्टर्ड संरक्षण क्षेत्रों सहित 99,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ओवरहेड बिजली लाइनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया।
- टकराव के खतरों के कारण मौजूदा बिजली लाइनों को भूमिगत करने का आदेश दिया गया था।
- जलवायु प्रतिबद्धताओं और व्यावहारिक चुनौतियों का हवाला देते हुए प्रतिबंध को चुनौती दी।
- 21 मार्च, 2024 को, न्यायालय ने प्रतिबंध को संशोधित किया और एक विशेषज्ञ समिति को स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने का काम सौंपा।
- समिति भूमिगतीकरण व्यवहार्यता का मूल्यांकन करेगी और बस्टर्ड संरक्षण उपायों का प्रस्ताव करेगी।
- जुलाई 2024 में समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद अंतिम निर्णय सुनाया जाएगा।
- न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 से प्राप्त जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ एक नए अधिकार को मान्यता दी।

- इसने जीवन के अधिकार के लिए जलवायु परिवर्तन के खतरे पर जोर दिया और **समानता के अधिकार को प्रभावित करने वाली असंगत भेद्यता पर प्रकाश डाला।**
- इस अधिकार का स्रोत **न्यायिक न्यायशास्त्र, भारत की जलवायु कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और वैज्ञानिक सहमति के संयोजन के माध्यम से निर्धारित किया गया था।**
- अपनी सामान्य प्रथा के विपरीत, न्यायालय ने अधिकार को आगे स्पष्ट नहीं करने का निर्णय लिया लेकिन इसकी आवश्यकता को स्वीकार किया।
- से यह विचलन **एक संयमित दृष्टिकोण को दर्शाता है**, जो भविष्य में अधिकार की अधिक जानकारीपूर्ण अभिव्यक्ति की अनुमति देता है।
- हालाँकि, अधिकार की मान्यता निर्णय के ऑपरेटिव भाग में प्रकट नहीं होती है, जिसका अर्थ है कि यह **कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।**
- भविष्य की जलवायु कार्रवाई को आकार देने में प्रभावशाली होते हुए भी, इसका सटीक प्रभाव अनिश्चित बना हुआ है।

बस ढांचा परिवर्तन

- मामले में मुख्य मुद्दा बस्टर्ड पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के प्रभाव को संतुलित करना था।
- निर्णय ने समस्या को जैव विविधता की रक्षा और जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने के बीच एक विकल्प के रूप में पेश किया, उन्हें विरोधी लक्ष्य माना।
- मान्यता प्राप्त अधिकार केवल जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से मानव हितों की रक्षा पर केंद्रित है।
- सुझाया गया एक वैकल्पिक दृष्टिकोण उचित संक्रमण ढांचे का उपयोग करना है, जिसका उद्देश्य **कम कार्बन अर्थव्यवस्था में बदलाव को निष्पक्ष और अधिक समावेशी बनाना है।**
- यह ढांचा समावेशी जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देकर जलवायु कार्रवाई और जैव विविधता संरक्षण के बीच संघर्ष को संबोधित कर सकता है।
- का विकास हो सकता है **जो गैर-मानवीय प्रकृति और पारिस्थितिक न्याय के हितों पर विचार करते हैं।**
- यदि न्यायालय द्वारा अपनाया जाता है, तो यह मामला **न्यायसंगत संक्रमण मुकदमेबाजी में गैर-मानवीय हितों पर विचार करने वाला पहला मामला होगा।**
- यह दृष्टिकोण मानवीय हितों से परे विचारों को शामिल करने के लिए न्यायपूर्ण परिवर्तन की अवधारणा को व्यापक बनाने में योगदान दे सकता है।

एक 'साझा बोझ'

- न्यायालय का अंतिम निर्णय लंबित है, जो समावेशी जलवायु कार्रवाई के लिए उचित संक्रमण ढांचे का उपयोग करने का अवसर प्रस्तुत करता है।
- जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक अधिकार को मान्यता दी गई है लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है, जिससे इसकी सामग्री पर चर्चा करने और इसे समावेशी बनाने का मौका मिलता है।
- इस अधिकार को आकार देने की जिम्मेदारी राज्य, कार्यकर्ताओं, वादियों और शिक्षाविदों पर आती है।
- ये हितधारक अधिकारों की मान्यता, अभिव्यक्ति और प्रवर्तन में भूमिका निभाते हैं।
- जलवायु अधिकारों को प्रभावी और समावेशी बनाने के लिए उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण है।

2024 में मानसून पर (18 अप्रैल) (GS PAPER I: भूगोल)

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) की प्रमुख एजेंसी भारत में मौसम की भविष्यवाणी, मौसम संबंधी टिप्पणियों और भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेदार है।
- 15 जनवरी 1875 में स्थापित, यह भारत के सबसे पुराने वैज्ञानिक विभागों में से एक बन गया।
- **मुख्यालय:** मौसम भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली
- **विज्ञान:** मौसम, जलवायु और भूकंपीय सेवाओं के लिए एक अग्रणी राष्ट्रीय केंद्र बनना, जो सामाजिक सुरक्षा और कल्याण में योगदान दे।
- **मिशन:** समय पर और सटीक मौसम पूर्वानुमान, चेतावनियाँ और सलाह प्रदान करना; जलवायु परिवर्तन अनुसंधान में योगदान करें; और भूकंपीय सेवाएं प्रदान करते हैं।

आईएमडी द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाएँ:

- **मौसम पूर्वानुमान:** कृषि, विमानन, आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए लघु, मध्यम और लंबी अवधि के मौसम पूर्वानुमान महत्वपूर्ण हैं।
- **मानसून पूर्वानुमान:** भारत के मानसून सीज़न के लिए विशेष पूर्वानुमान कृषि योजना और जल संसाधन प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **चक्रवात चेतावनियाँ:** आईएमडी उत्तरी हिंद महासागर में चक्रवातों की निगरानी करने और समय पर चेतावनी जारी करने, जोखिमों और जीवन की हानि को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **जलवायु निगरानी और अनुसंधान:** आईएमडी दीर्घकालिक रुझानों और उनके प्रभावों को समझने के लिए जलवायु पैटर्न की सक्रिय रूप से निगरानी और शोध करता है।
- **भूकंपीय सेवाएँ:** भूकंप की निगरानी करने और संबंधित जानकारी और चेतावनियाँ प्रदान करने के लिए वेधशालाओं का एक नेटवर्क संचालित करती है।
- **जल-मौसम विज्ञान सेवाएँ:** बाढ़ और सूखे जैसी जल विज्ञान संबंधी घटनाओं पर नज़र रखता है और उनका पूर्वानुमान लगाता है।

भारत के किसानों को बुआई करते समय मजबूत मानसून का ध्यान रखना चाहिए

- भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) का अनुमान है कि जून से सितंबर तक औसत 87 सेमी की तुलना में मानसूनी वर्षा 6% अधिक होगी।
- यह पूर्वानुमान असामान्य है क्योंकि आईएमडी आमतौर पर अपने अप्रैल के पूर्वानुमान में अधिशेष या कम वर्षा का सुझाव देने से बचता है।
- प्रत्याशित अधिशेष के बावजूद, अत्यधिक बारिश की 30% संभावना है, जिसे सामान्य से 10% से अधिक के रूप में परिभाषित किया गया है।
- अत्यधिक बारिश की संभावना 'सामान्य से अधिक' बारिश की तरह है, जिसकी सबसे अधिक संभावना अगस्त और सितंबर में है।
- पूर्वानुमान ला नीना के विकास पर आधारित है, जो एक सकारात्मक हिंद महासागर डिपोल द्वारा सहायता प्राप्त है, जिससे संभावित रूप से दक्षिणी भारत में बारिश हो सकती है।
- जून और जुलाई में तटस्थ स्थितियाँ रहने की उम्मीद है, न तो अल नीनो और न ही ला नीना।
- दो शुष्क महीनों के बाद अत्यधिक वर्षा से अत्यधिक बाढ़ आ सकती है, जिससे जीवन, आजीविका और बुनियादी ढांचे के लिए खतरा पैदा हो सकता है।
- केरल में 2018 की बाढ़ प्राकृतिक आपदाओं के प्रति भारत की संवेदनशीलता की याद दिलाती है।

- राज्यों को आपातकालीन योजनाएँ तैयार करनी चाहिए, बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना चाहिए, बाँध स्थिरता ऑडिट करना चाहिए और पूर्व-चेतावनी नेटवर्क स्थापित करना चाहिए।
- किसानों को दूसरी छमाही में मजबूत मानसून की संभावना के बारे में सूचित किया जाना चाहिए और तदनुसार अपने बुवाई कार्यों को समायोजित करना चाहिए।

लापता मेडिकल कॉलेज: मदुरै एम्स के मामले पर (18 अप्रैल)

भारत के खराब डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात को बेहतर केंद्र-राज्य संबंधों के बिना ठीक नहीं किया जा सकता है

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई)

- **केंद्रीय क्षेत्र योजना:** मार्च 2006 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई।
- **मंत्रालय:** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।

प्राथमिक ऑब्जेक्ट

- **क्षेत्रीय असंतुलन को संबोधित करना:** इसका उद्देश्य पूरे भारत में सस्ती और विश्वसनीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में असंतुलन को ठीक करना है।
- **चिकित्सा शिक्षा को बढ़ाना:** विशेष रूप से वंचित राज्यों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है।

ज़रूरी भाग:

1. **नए एम्स:** विभिन्न राज्यों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना।
एम्स भवन

○ ये संस्थान चिकित्सा सुविधाओं, शिक्षा और अनुसंधान की व्यापक श्रृंखला प्रदान करते हैं।

2. **मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करना:** सुपर-स्पेशियलिटी सुविधाएं प्रदान करने के लिए चयनित सरकारी चिकित्सा संस्थानों और अस्पतालों को अपग्रेड करना।

पीएमएसएसवाई के तहत नए एम्स की विशेषताएं

- **960 बिस्तरों वाला अस्पताल:** इसमें ट्रॉमा सेंटर, आयुष सुविधाओं और आईसीयू बेड के साथ-साथ विशेष और सुपर-स्पेशियलिटी विभाग शामिल हैं।
- **मेडिकल कॉलेज:** प्रत्येक एम्स में एक स्नातक मेडिकल कॉलेज होता है जिसमें सालाना 100 छात्र पढ़ते हैं।
- **नर्सिंग कॉलेज:** इसमें नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के मानदंडों के अनुरूप नर्सिंग शिक्षा शामिल है।
- **आवासीय सुविधाएं:** छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए छात्रावास और आवासीय सुविधाएं।

प्रगति और प्रभाव

- **कई एम्स परिचालन में:** वर्तमान में भारत भर में कई नए एम्स संचालित हो रहे हैं, और कई निर्माणाधीन हैं।
- **पहुंच में वृद्धि:** पीएमएसएसवाई ने वंचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल पहुंच को बेहतर बनाने में मदद की है।
- **चिकित्सा कार्यबल का विस्तार:** नए डॉक्टरों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को प्रशिक्षण देना कुशल मानव संसाधनों की कमी को दूर करता है।

- स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा में सुधार और डॉक्टरों की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को पाटने के लिए एम्स संस्थानों की स्थापना की गई थी।

- इस पहल का समर्थन करने के लिए 2003 में प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) शुरू की गई थी।
- स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के इरादों के बावजूद, कार्यान्वयन चुनौतियों ने प्रगति में बाधा उत्पन्न की है।
- एम्स मदुरै, एक परियोजना जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना है, को महत्वपूर्ण देरी और बुनियादी ढांचे की कमियों का सामना करना पड़ा है।
- निर्माण में देरी के कारण छात्रों को अन्य सुविधाओं में समायोजित करना पड़ा, जिससे उनकी शिक्षा और अनुभव प्रभावित हुआ।
- एम्स मदुरै को पूरा करने में देरी 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान एक विवादास्पद मुद्दा बन गई।
- स्थिति को संबोधित करने और परियोजना को पूरा करने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन समय पर पूरा होने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वितरण सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
- इन मुद्दों को हल करने और एम्स संस्थानों के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है।

आज अम्बेडकरवादी दलित राजनीति की सीमाएँ (18 अप्रैल)

- बाबासाहेब अम्बेडकर की जयंती मनाने वाले अप्रैल के कार्यक्रम राष्ट्रीय अनुष्ठान बन गए हैं।
- ये घटनाएँ मुख्यधारा की सार्वजनिक संस्कृति में लगे जीवंत दलित जनसमूह को उजागर करती हैं।
- हालाँकि, राजनीतिक क्षेत्र में अम्बेडकर की राजनीतिक विरासत में एकता की कमी है।
- दलित राजनीतिक दल निष्क्रिय और हाशिये पर जा रहे हैं।
- अम्बेडकर ने दलित-बहुजन समूहों को राज्य सत्ता के दावेदार के रूप में देखा और आदिवासियों, श्रमिक वर्गों और खेतिहर मजदूरों के साथ एक बड़े सामाजिक गठबंधन का लक्ष्य रखा।
- अम्बेडकर के बाद, दलित राजनीति का लक्ष्य दलित-बहुजन को लोकतांत्रिक संस्थाओं में एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में स्थापित करना था।
- समकालीन अम्बेडकरवादी दलित राजनीति खंडित है, इसमें दूरदर्शी नेतृत्व, मजबूत सामाजिक आधार और प्रभावी राजनीतिक रणनीतियों का अभाव है।

वैचारिक सौहार्द

- स्वतंत्रता के बाद प्रमुख राज्यों में शासक कुलीन वर्ग के रूप में कृषि पिछड़ी जातियों का उदय हुआ।
- उत्तर प्रदेश में कांशी राम और मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी (बसपा)।
- भारतीय लोकतंत्र पर सामाजिक न्याय की राजनीति के प्रभाव की संभावना का संकेत देते हुए, बसपा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक ताकत बन गई।
- महाराष्ट्र में प्रकाश अम्बेडकर और रामदास अठावले जैसे रिपब्लिकन-बहुजन नेताओं का उदय भी हुआ।
- तमिलनाडु में विदुथलाई चिरुथिगल काची (वीसीके) और बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) जैसी पार्टियों ने दलित राजनीतिक मुद्दे की गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति के लिए जगह प्रदान की।

- अंबेडकर की प्रतिमा और सामाजिक न्याय के नारों के इर्द-गिर्द वैचारिक सौहार्द के बावजूद, ये पार्टियाँ कभी-कभी मूल सिद्धांतों से भटक गईं।
- उदाहरणों में 1995 में उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ बसपा का गठबंधन और 1999 में राम विलास पासवान का भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होना शामिल है।
- महाराष्ट्र में रामदास अठावले ने अपनी पार्टी को कट्टरपंथी दलित आंदोलन के विचारों से दूर कर लिया और 2011 में बीजेपी के साथ गठबंधन किया।
- वीसीके और प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) जैसी कुछ दलित पार्टियों ने लगातार भाजपा विरोधी रुख बनाए रखा और धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के साथ गठबंधन किया।

हिंदुत्व आधिपत्य की चुनौती

- हिंदुत्व छत्रछाया के तहत दलित-बहुजन समूहों को संगठित करने वाली भाजपा के उदय को रणनीतिक हस्तक्षेप, नवोन्मेषी नारों और सक्षम नेतृत्व की कमी के कारण दलित पार्टियों से थोड़ी चुनौती मिलती है।
- दलित पार्टियों का प्रभाव कुछ भौगोलिक सीमाओं से परे सीमित है, वे पंजाब, बंगाल, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में महत्वपूर्ण दलित आबादी को एकजुट करने में विफल रही हैं।
- आदिवासी और मुस्लिम जैसे अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदाय भी अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता और चुनावी क्षमता के बारे में संदेह के कारण दलित पार्टियों का भारी समर्थन करने से हिचकिचाते हैं।
- 2024 के आम चुनाव की अगुवाई में, दलित पार्टियाँ दलित-बहुजन मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए एक नया दृष्टिकोण और अभिनव राजनीतिक कार्यक्रम पेश कर सकती थीं, जैसे कि बीएसपी, वीसीके और वीबीए जैसी अंबेडकरवादी पार्टियों का एक एकीकृत राजनीतिक ब्लॉक बनाना।
- हालाँकि, दलित पार्टियाँ क्षेत्रीय विशिष्टताओं से जुड़ी हुई हैं और उनमें सामाजिक न्याय की राजनीति को पुनर्जीवित करने के लिए राजनीतिक कल्पनाशक्ति का अभाव है, इसलिए वे अक्सर भाजपा के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई में अकेले लड़ने का फैसला करती हैं।
- मुख्यधारा के विपक्षी दलों के साथ एक एकीकृत धर्मनिरपेक्ष मोर्चा बनाने से इनकार करने से दलित दलों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में दिखाई देने की अनुमति मिल सकती है, लेकिन हिंदुत्व शासन के तहत गरीब दलित-बहुजन जनता द्वारा सामना की जाने वाली बढ़ती चिंताओं और परेशानियों की उपेक्षा हो सकती है।
- दलित-बहुजन राजनीति की खंडित और शक्तिहीन स्थिति आज राष्ट्रीय राजनीतिक एजेंडे की अनुपस्थिति, राजनीतिक विचारधारा में दरार और दक्षिणपंथी प्रभुत्व को चुनौती देने की सीमाओं के साथ अंबेडकर की राजनीतिक विरासत से विचलन को उजागर करती है।
- इन बाधाओं को दूर करने और अंबेडकर के सिद्धांतों के अनुरूप एक परिवर्तनकारी राजनीतिक विकल्प को फिर से खोजने के लिए दलित-बहुजन नेताओं और बुद्धिजीवियों की एक नई पीढ़ी को उभरना होगा।

हापुड फैसला

(18 अप्रैल)

हापुड की सजा इस बात की स्वीकृति है कि राज्य न केवल भागीदार था, बल्कि समर्थक भी था।

- एक ऐतिहासिक फैसले में, उत्तर प्रदेश के हापुड में एक निचली अदालत ने कासिम कुरेशी नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति की गोरक्षा से संबंधित हत्या में शामिल होने के लिए 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
- यह घटना जून 2018 में बड़ेरा खुर्द गांव में हुई, जहां गोहत्या के झूठे आरोप के आधार पर, कुरेशी की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई और एक अन्य व्यक्ति समीउद्दीन पर गंभीर हमला किया गया।
- अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत की न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने इन लोगों को हत्या, हत्या के प्रयास, दंगा करने और धार्मिक शत्रुता को बढ़ावा देने का दोषी पाया और उन्हें प्रत्येक को ₹59,000 के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
- यह सजा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन कुछ उदाहरणों में से एक है जहां अवैध निगरानी अपराधों, विशेष रूप से गाय संरक्षण से संबंधित हिंसा के अपराधियों को जवाबदेह ठहराया गया है।
- में गौरक्षा अभियानों में राज्य की रुचि और हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में गौ हत्या रोकथाम कानूनों में संशोधन के कारण गौ सतर्कता में तेजी से वृद्धि देखी गई है।
- इन कानूनों और सरकार द्वारा गठित विशेष कार्य बलों ने गौरक्षकों को अक्सर कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मौन स्वीकृति के साथ, दण्ड से मुक्ति के साथ काम करने की अनुमति दी है।
- उत्तर प्रदेश मामले में सजा भारत में अपनी तरह की पांचवीं सजा है, झारखंड और राजस्थान में भी इसी तरह की सजा दर्ज की गई है।
- हापुड लिंगिंग की सजा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अपराधियों को जवाबदेह ठहराती है और प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) गढ़ने और घटना की वैकल्पिक कहानी बनाने के लिए पुलिस की आलोचना करती है।
- फैसले में पुलिस की जवाबदेही पर चिंता जताई गई है और हिंसा में पुलिस कर्मियों और जांच अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया गया है।
- इससे पुलिस द्वारा शुरू में जांच को गलत दिशा देने के प्रयासों का पता चलता है, जैसे कि पीड़ित के लिए आधिकारिक पहचान परेड नहीं करना, जिससे आरोपी को जमानत हासिल करने में मदद मिली।
- दोषसिद्धि के बावजूद, यह इंगित करता है कि राज्य गौरक्षकों के लिए बिना शर्त सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता है, जो ऐसी हिंसा में राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं के बीच गठबंधन की कमजोरी को उजागर करता है।
- यह दोषसिद्धि संभावित गौरक्षकों के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करती है, जो दिखाती है कि शक्ति अंततः राज्य एजेंटों के पास है, भले ही हिंसा के अभ्यास में राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाएं।
- हालांकि, सजा का मतलब मुस्लिम विरोधी हिंसा के लिए राज्य की मंजूरी का अंत नहीं है; इसके बजाय, यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे राज्य अपने दंडात्मक परिणामों से दूर रहते हुए निगरानीकर्ताओं को अवैध पुलिसिंग सौंपता है।
- निर्णय कानून प्रवर्तन के भीतर प्रणालीगत मुद्दों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ राज्य-स्वीकृत हिंसा के व्यापक निहितार्थों को संबोधित करने की आवश्यकता पर जोर देता है।

राज्य प्रेरित लिंगिंग

- हापुड लिंगिंग मामले में आजीवन कारावास की सजा के बावजूद, राज्य-प्रेरित लिंगिंग का अंतर्निहित मुद्दा अछूता, अप्रकाशित और अपरिवर्तित है।
- ऐसी हिंसा में पुलिस का घनिष्ठ सहयोग कई उदाहरणों में कायम रहा है, जो कानून प्रवर्तन के भीतर प्रणालीगत मुद्दों का संकेत देता है।

- अल्पसंख्यक विरोधी हिंसा के मामलों में एफआईआर में हेरफेर, जांच में हेरफेर, दोषपूर्ण साक्ष्य संग्रह और पुलिस उत्पीड़न जैसी प्रक्रियाएं आम हैं।
- हापुड मामले में दोषसिद्धि दोषियों को अधिकतम सजा देकर न्याय की जीत की तरह लग सकती है, लेकिन यह राज्य अपराधों के जारी रहने को भी उजागर करती है जबकि गैर-राज्य अभिनेताओं को जवाबदेह ठहराया जाता है।

अभियान पथ पर लैंगिक भेदभाव (18 अप्रैल)

कर्नाटक में महिलाओं को लक्ष्य करने वाली योजनाओं के असर को लेकर नेता विवाद में हैं

- संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, जिसे महिला आरक्षण विधेयक, 2023 के रूप में भी जाना जाता है, 19 सितंबर, 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था।
- इसका लक्ष्य महिलाओं के लिए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में 33 प्रतिशत सीटें आवंटित करना है।
- यह विधेयक 27 वर्षों तक चली विधायी बहस का हिस्सा था, जिसमें राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति की कमी के कारण समाप्त हो गया महिला आरक्षण विधेयक (2010) भी शामिल था।
- यह नए संसद भवन में विचार किया जाने वाला पहला विधेयक था।
- लोकसभा ने 20 सितंबर, 2023 को विधेयक को पक्ष में 454 और विपक्ष में दो वोटों के साथ पारित कर दिया।
- राज्यसभा ने 21 सितंबर, 2023 को विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया, जिसके पक्ष में 214 वोट पड़े और विरोध में कोई भी वोट नहीं पड़ा।
- राष्ट्रपति मूर्मु ने 28 सितंबर, 2023 को विधेयक पर हस्ताक्षर किए और उसी दिन गजट अधिसूचना प्रकाशित की गई, जिसमें संकेत दिया गया कि आरक्षण पहले परिसीमन (2026 तक निलंबित) के बाद लागू होगा।

महिला आरक्षण बिल

- विधायी निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर 1946 में भारत की संविधान सभा के उद्घाटन सत्र में ही चर्चा हुई थी, जहाँ सरोजिनी नायडू एकमात्र महिला थीं।
- राजनीति में महिलाओं के लिए कोटा पर विचार-विमर्श 1996, 1997 और 1998 में हुआ, लेकिन लोकसभा के विघटन और राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति की कमी सहित विभिन्न कारणों से प्रगति बाधित हुई।
- वैश्विक आबादी में आधी से अधिक महिलाएं होने के बावजूद, राजनीतिक निर्णय लेने वाली संस्थाओं में उनके कम प्रतिनिधित्व को लेकर चिंता बढ़ रही है।
- महिला आरक्षण विधेयक, जिसे 2008 के संविधान 108वें संशोधन विधेयक के रूप में भी जाना जाता है, का उद्देश्य विधायी निकायों में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करके इस लोकतांत्रिक कमी को दूर करना है।
- 1996 में पेश होने के बाद से इस विधेयक को पारित होने के छह असफल प्रयासों का सामना करना पड़ा है।
- 2010 में, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने विधेयक के बारे में चिंता जताई और सुझाव दिया कि इससे पुरुष सांसदों को अपनी महिला सहयोगियों के प्रति अनुचित व्यवहार करना पड़ सकता है।
- 2023 में, लोकसभा में 15% से कम महिला सांसद थीं, जो संसद में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को दर्शाता है।
- कई राज्य विधानसभाओं में भी महिला प्रतिनिधित्व कम है, कुछ में 10% से भी कम महिला सदस्य हैं।
- पिछले कुछ वर्षों में लोकसभा में महिला प्रतिनिधित्व धीरे-धीरे बढ़ा है, पहली लोकसभा में 5% से बढ़कर 17वीं लोकसभा में 14% हो गया है।
- 2019 के आम चुनाव में, 78 महिलाएं लोकसभा के लिए चुनी गईं, जो 2014 के पिछले चुनाव की तुलना में एक चौथाई अधिक है।

- महिला आरक्षण विधेयक का लक्ष्य लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 181 तक बढ़ाना है।
- वर्तमान में लोकसभा में 78 और राज्यसभा में 24 महिला सदस्य हैं।
- विधेयक में 15 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव है।
- यह महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के भीतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोटा भी अनिवार्य करता है।
- आरक्षण का कार्यान्वयन नई जनगणना प्रकाशित होने और परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद होगा।
- परिसीमन प्रक्रिया में जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को संशोधित करना शामिल है।
- राज्य के अधिकारों पर इसके प्रभाव को देखते हुए, विधेयक को पूर्ण अनुसमर्थन के लिए कम से कम 50% राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता है।

- कर्नाटक में हाल की घटनाओं ने महिलाओं के लिए सरकार की प्रमुख गारंटी योजनाओं की प्रभावशीलता को लेकर शीर्ष राजनीतिक नेताओं के बीच बहस छेड़ दी है।
- जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने गांवों में महिलाओं पर नकारात्मक प्रभाव का हवाला देते हुए महिलाओं के लिए बनाई गई इन दो योजनाओं की आलोचना की।
- उन्होंने विशेष रूप से गैर-लकजरी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा और परिवारों की महिला प्रमुखों के लिए ₹2,000 की मासिक वित्तीय सहायता का उल्लेख किया, यह सुझाव देते हुए कि उन्होंने कुछ महिलाओं को गुमराह किया।
- कुमारस्वामी की टिप्पणियों की कांग्रेस नेताओं, विशेष रूप से उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, जो कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नेतृत्व करते हैं, ने निंदा की।
- दोनों नेताओं के बीच बातचीत योजनाओं की प्रभावशीलता के बारे में चर्चा से आगे बढ़ गई है, जो वोक्कालिगा नेतृत्व के लिए सत्ता संघर्ष में बदल गई है, दोनों नेता अपने राजनीतिक क्षेत्र में नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
- श्री कुमारस्वामी का बयान महिला-केंद्रित योजनाओं के संबंध में दो सामान्य धारणाओं को दर्शाता है:
- यह विचार कि महिलाओं को दिया जाने वाला पैसा "जेबकतरे" पुरुषों से आता है, जिसका अर्थ यह है कि पुरुष अन्यथा शराब पर खर्च कर सकते हैं।
- यह धारणा कि महिलाओं की गतिशीलता और वित्तीय स्वतंत्रता में वृद्धि हुई है, उन्हें खाना पकाने और अपने परिवार की देखभाल करने जैसी पारंपरिक भूमिकाओं की उपेक्षा करने के लिए प्रेरित करती है।
- योजनाओं को बदनाम करने के लिए विपक्ष द्वारा इन धारणाओं को बढ़ावा दिया गया है, पिछले आख्यानो से पता चलता है कि योजनाएं परिवारों के भीतर विभाजन पैदा करती हैं।
- इस तरह की कहानियां अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आक्रामक तरीके से प्रचारित की जाती हैं।
- हालांकि योजनाओं की प्रभावशीलता और कार्यान्वयन के बारे में बहस हो सकती है, लेकिन उन पर पितृसत्तात्मक और सामंती प्रतिक्रियाओं से संकेत मिलता है कि उन्होंने महिलाओं को कुछ हद तक स्वायत्तता देने का अपना उद्देश्य हासिल कर लिया है।

एक अनिच्छुक माफ़ी


- श्री कुमारस्वामी ने अपनी टिप्पणी के कारण हुए किसी भी अपराध के लिए महिला मतदाताओं से माफ़ी मांगी, लेकिन संरक्षणवादी स्वर बनाए रखा, यह सुझाव देते हुए कि वह उन्हें कांग्रेस द्वारा महिलाओं की "मासूमियत" के दुरुपयोग के बारे में चेतावनी दे रहे थे।
- शमनूर जैसे उदाहरणों का हवाला देते हुए, स्त्रीद्वेष के अपने उदाहरणों के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की शिवशंकरप्पा की बीजेपी उम्मीदवार के बारे में टिप्पणी और एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला की बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के बारे में टिप्पणी।
- राजनीतिक विमर्श में स्त्री द्वेषपूर्ण टिप्पणियाँ आम हैं, खासकर चुनावों के दौरान।

- विधानसभाओं और संसद में महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व न होना ऐसी बातों के सामान्यीकरण पर सवाल उठाता है।
- कर्नाटक लोकसभा चुनाव में, आठ महिलाएं सीटों के लिए दौड़ रही हैं, जो पिछले चुनावों से थोड़ा सुधार दर्शाता है, लेकिन अभी भी महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 द्वारा परिकल्पित आदर्श से बहुत दूर है।

भारत की 'हीट एक्शन प्लान' पर (18 अप्रैल) (GS PAPER III: पर्यावरण)

एल नीनो

- **परिभाषा:** अल नीनो, अल नीनो-दक्षिणी दोलन (ईएनएसओ) चक्र का गर्म चरण है, जो एक आवर्ती जलवायु पैटर्न है जिसमें प्रशांत महासागर के तापमान और वायुमंडलीय परिसंचरण में परिवर्तन शामिल है।





- **महासागरीय हस्ताक्षर:** मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का औसत से अधिक गर्म तापमान (एसएसटी) विकसित होता है।
- **वायुमंडलीय प्रभाव:** कमजोर व्यापारिक हवाएं और गर्म पानी के साथ वायुमंडलीय दबाव के पैटर्न में बदलाव होता है।

अल नीनो का प्रभाव

- **वैश्विक:** अल नीनो दुनिया भर में मौसम के पैटर्न में बदलाव ला सकता है, जिसके परिणामस्वरूप:
 - कुछ क्षेत्रों में सूखा (जैसे, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया)
 - अन्य में वर्षा में वृद्धि (उदाहरण के लिए, कैलिफोर्निया, पेरू)
 - समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान
- **भारत:** अल नीनो घटनाएँ अक्सर भारत में औसत से कम मानसूनी वर्षा से जुड़ी होती हैं, जिसका असर कृषि और जल संसाधनों पर पड़ता है।

ला नीना

- **परिभाषा:** ला नीना ईएनएसओ चक्र का ठंडा चरण है, जो मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में औसत से अधिक ठंडे एसएसटी की विशेषता है।




- **समुद्री हस्ताक्षर:** तेज़ व्यापारिक हवाएँ गर्म सतह के पानी को पश्चिम की ओर धकेलती हैं, जिससे पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में ठंडे एसएसटी बन जाते हैं।
- **वायुमंडलीय प्रभाव:** ठंडे पानी के साथ व्यापारिक हवाओं में वृद्धि और वायुमंडलीय दबाव के पैटर्न में बदलाव होता है।

ला नीना का प्रभाव

- **वैश्विक:** ला नीना वैश्विक मौसम पैटर्न को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण:
 - कुछ क्षेत्रों में वर्षा में वृद्धि (जैसे, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया)
 - अन्य में सूखा (उदाहरण के लिए, कैलिफ़ोर्निया, पूर्वी अफ्रीका)
 - तूफान गतिविधि में परिवर्तन
- **भारत:** ला नीना घटनाएँ आम तौर पर भारत में सामान्य या औसत से अधिक मानसूनी वर्षा से जुड़ी होती हैं, जिससे कृषि को लाभ होता है।

सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव (आईओडी)

- पश्चिमी हिंद महासागर में औसत से अधिक गर्म एसएसटी और पूर्वी हिंद महासागर में औसत से अधिक ठंडे एसएसटी द्वारा विशेषता एक जलवायु घटना।



- **विकास:** हिंद महासागर को प्रभावित करने वाले वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न के कारण अक्सर एल नीनो घटनाओं के साथ मेल खाता है।
- **प्रभाव:** एक सकारात्मक IOD का परिणाम हो सकता है:
 - इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में वर्षा कम हुई
 - पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में वर्षा में वृद्धि

हिंद महासागर डिपोल और अल नीनो संबंध:

- सभी अल नीनो घटनाएँ सकारात्मक IOD को ट्रिगर नहीं करती हैं, और इसके विपरीत भी।
- दोनों घटनाओं की ताकत क्षेत्रीय जलवायु पर उनके संयुक्त प्रभाव को प्रभावित कर सकती है।
 - आमतौर पर, गर्मियों के दौरान भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) से गर्मी की चेतावनी आम है।
 - हालाँकि, इस वर्ष, **गर्मी की चेतावनी फरवरी की शुरुआत में ही शुरू हो गई थी।**
 - पूर्वोत्तर और पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में पहले से ही काफी गर्म तापमान का अनुभव हो रहा है, जो सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक है।
 - आईएमडी ने आने वाले दिनों में, विशेषकर पूर्वी और दक्षिणी भारत में अधिकतम तापमान और लू की आवृत्ति में और वृद्धि होने की भविष्यवाणी की है।
 - यह स्थिति हीटवेव से उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए भारत की तैयारियों के बारे में चिंता पैदा करती है।

हीटवेव क्या है?

- आईएमडी (भारत मौसम विज्ञान विभाग) के अनुसार, हीटवेव की परिभाषा विभिन्न क्षेत्रों के भूगोल के आधार पर भिन्न होती है।
- आईएमडी द्वारा आधिकारिक तौर पर हीटवेव की घोषणा तब की जाती है जब किसी स्टेशन पर दर्ज किया गया अधिकतम तापमान कुछ मानदंडों को पूरा करता है:
 - मैदानी क्षेत्रों के लिए, यदि तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुँच जाता है तो लू की घोषणा की जाती है।
 - तटीय क्षेत्रों में, सीमा 37 डिग्री सेल्सियस या अधिक है।
 - पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, यह 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक है।
- हीटवेव की गंभीरता इस बात से निर्धारित होती है कि तापमान सामान्य सीमा से कितना विचलित होता है।
- "सामान्य हीटवेव" तब होती है जब सामान्य तापमान सीमा से विचलन 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है।
- यदि प्रस्थान इस सीमा से अधिक है, तो इसे "गंभीर हीटवेव" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- वैकल्पिक रूप से, दर्ज किए गए वास्तविक अधिकतम तापमान के आधार पर भी हीटवेव घोषित की जा सकती है:
 - यदि तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो "हीटवेव" घोषित की जाती है।
 - यदि तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो "गंभीर लू" घोषित की जाती है।
- आईएमडी बाद के दो मानदंडों पर तभी विचार करता है जब:
 - कम से कम दो स्टेशन मौसम संबंधी उपखंड में ऐसे उच्च अधिकतम तापमान की रिपोर्ट, या
 - लगातार कम से कम दो दिनों तक सामान्य सीमा से विचलन दर्ज करता है।

हम लू से कैसे निपट रहे हैं?

- हीट एक्शन प्लान (एचएपी) का उद्देश्य बढ़ती हीटवेव के नकारात्मक प्रभावों को कम करना है।
- राज्य, जिला और शहर स्तर पर विकसित किया गया।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और आईएमडी एचएपी पर 23 राज्यों के साथ सहयोग कर रहे हैं।
- कोई केंद्रीकृत डेटाबेस नहीं, लेकिन कम से कम 23 एचएपी मौजूद हैं।
- ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में जिला-स्तरीय एचएपी हैं।
- एचएपी में आम तौर पर शामिल हैं:
 - हीट प्रोफाइल और पिछली घटनाओं का अवलोकन।
 - जोखिम मूल्यांकन।
 - हीटवेव से पहले, दौरान और बाद में प्रतिक्रिया योजना।
 - आपदा प्रबंधन, श्रम और पुलिस जैसे विभिन्न विभागों की भूमिकाएँ।

HAPs क्या अनुशंसा करते हैं?

- हीट एक्शन प्लान (एचएपी) हीटवेव से निपटने के लिए विभिन्न उपायों की सिफारिश करते हैं।
- पूर्वानुमानों और पूर्व चेतावनी प्रणालियों का उपयोग करें जनता और अधिकारियों को सचेत करने के लिए।
- हीटवेव जोखिमों के बारे में अभियानों के माध्यम से जनता को शिक्षित करें।
- ताप आश्रय और शीतलन केंद्र स्थापित करें।
- निर्जलीकरण को रोकने के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएं।

- अस्पतालों को सर्वसुविधायुक्त बनाने का निर्देश गर्मी से संबंधित बीमारियों से निपटने के लिए आपूर्ति और प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ।
- शहरी नियोजन रणनीतियों जैसे दीर्घकालिक उपायों को प्रोत्साहित करें वृक्षारोपण को बढ़ावा देना।
- गर्मी प्रतिरोधी निर्माण सामग्री का उपयोग करें शहरी ताप द्वीप प्रभाव को कम करने के लिए।
- शानदार छत प्रौद्योगिकियों को लागू करें घर के अंदर का तापमान कम करने के लिए।
- सरकारी एजेंसियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, सामुदायिक संगठनों और आपातकालीन सेवाओं सहित हितधारकों के बीच प्रभावी समन्वय की वकालत करना ।

समस्या को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में एचएपी को क्या कमजोर बनाता है?

- जबकि हीट एक्शन प्लान (HAPs) मूल्यवान दिशानिर्देश हैं, फिर भी उन्हें भारत के विविध मौसम और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप व्यावहारिक समायोजन की आवश्यकता है।
- वर्तमान में, हीटवेव का निर्धारण राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, लेकिन उनका आकलन राज्यों, जिलों और शहरों जैसे छोटे पैमाने पर किया जाना चाहिए।
- शहरी ताप द्वीप प्रभाव, छत का प्रकार और पानी या हरे क्षेत्रों से निकटता जैसे कारक स्थानीय तापमान को प्रभावित करते हैं।
- हीटवेव को परिभाषित करने में अत्यधिक तापमान के स्थानीय अनुभवों पर विचार किया जाना चाहिए।
- हीटवेव के दायरे का विस्तार होना चाहिए, जिसमें केवल अत्यधिक शुष्क गर्मी ही नहीं, बल्कि आर्द्र गर्मी और गर्म रातें भी शामिल होनी चाहिए।
- तापमान से परे कई कारकों पर विचार करते हुए ताप सूचकांक विकसित करना आवश्यक है।
- विशिष्ट जलवायु परिस्थितियों, जनसांख्यिकी और क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे के लिए तैयार किए गए एचएपी स्थानीय संदर्भों के अनुकूल बेहतर रणनीतियों को जन्म दे सकते हैं।

असंगत तरीके और कमजोर आबादी:

- हीट एक्शन प्लान (एचएपी) में भेद्यता आकलन के तरीके अलग-अलग होते हैं और उनमें निरंतरता की आवश्यकता होती है।
- मजबूत जलवायु जोखिम आकलन की ओर परिवर्तन हीटवेव की संभावना की पहचान करना और कमजोर आबादी और संपत्तियों पर जोखिम का अनुमान लगाना आवश्यक है।
- भू-स्थानिक डेटा का उपयोग करके हॉटस्पॉट मानचित्रण लक्षित हस्तक्षेपों के लिए आवश्यक है।
- एचएपी कमजोर आबादी की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन स्थानीय सामाजिक और जनसांख्यिकीय कारकों पर विचार करते हुए लक्षित हस्तक्षेप का अभाव है।
- भारत की 90% से अधिक अर्थव्यवस्था अनौपचारिक है, और रणनीतियों को हीटवेव के दौरान सामाजिक-आर्थिक मतभेदों को संबोधित करना चाहिए।
- सतत कार्यान्वयन के लिए एचएपी के लिए समर्पित बजट आवश्यक हैं।
- राज्य, नागरिक समाज संगठनों और श्रमिक संघों के बीच अनौपचारिक श्रमिकों के लिए वित्तीय तंत्र की योजना बनाने के लिए संवाद आवश्यक है ताकि आय की हानि के बिना गर्मी की लहर के दौरान घर के अंदर रह सकें।

संसाधन आवंटन और साइलो को तोड़ना :

- हीट एक्शन प्लान (एचएपी) का कार्यान्वयन स्थानीय सरकार की प्राथमिकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न होता है।

- एचएपी के लिए समर्पित बजट की आवश्यकता है सतत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए.
- राज्य, नागरिक समाज संगठनों और श्रमिक संघों के बीच संवाद लू के दौरान अनौपचारिक श्रमिकों के लिए वित्तीय तंत्र की योजना बनाना महत्वपूर्ण है।
- एचएपी वर्तमान में सीमित वित्त के साथ स्टैंडअलोन योजनाएं हैं, लेकिन शहरी लचीलेपन और जलवायु अनुकूलन के लिए व्यापक कार्य योजनाओं के साथ उन्हें एकीकृत करने से संसाधनों को एकत्रित किया जा सकता है।
- व्यापक कार्य योजनाओं के साथ एकीकरण एचएपी की प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है और डेटा संग्रह और निगरानी प्रणालियों में शीघ्र सुधार ला सकता है।
- एचएपी अक्सर ठंडी छतों जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन हॉटस्पॉट में अत्यधिक गर्मी से निपटने के लिए हरे और नीले स्थानों जैसे प्रकृति-आधारित समाधानों को शामिल करने की आवश्यकता होती है।

टी । कई सामाजिक-आर्थिक उपायों में नेताओं के बीच एन (18 अप्रैल)

- तमिलनाडु, जो राष्ट्रीय चुनावों की ओर बढ़ रहा है, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संकेतकों में समग्र विकास दर्शाता है।
- यह बाल-स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और शैक्षिक उपलब्धि में शीर्ष प्रमुख राज्यों में से एक है।
- राज्य का आर्थिक प्रदर्शन मजबूत है, विशेष रूप से इसके विनिर्माण क्षेत्र द्वारा समर्थित है।
- हालाँकि, इस आर्थिक विकास की कीमत चुकानी पड़ी है, क्योंकि तमिलनाडु पर्यावरण संबंधी संकेतकों में पीछे है।
- राज्य को पर्यावरण संरक्षण के साथ अपने आर्थिक विकास को संतुलित करने के लिए सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
- तालिका 1 वर्ष 2005-06, 2015-16 और 2019-21 में विभिन्न सामाजिक संकेतकों में तमिलनाडु की रैंकिंग और विशिष्ट मापदंडों के लिए उसके स्कोर प्रस्तुत करती है।
- रैंकिंग में प्रमुख राज्य और पूर्वोत्तर और गोवा जैसे छोटे राज्य दोनों शामिल हैं। प्रमुख राज्यों के बीच रैंकिंग को अलग से दर्शाया गया है।
- 2019-21 में, तमिलनाडु की छह या उससे अधिक उम्र की महिला आबादी, जो कभी स्कूल गई थी, 80.4% थी। कुल मिलाकर विश्लेषण किए गए 30 राज्यों में से यह 11वें स्थान पर है, लेकिन प्रमुख राज्यों में शीर्ष तीन में है।
- 20-24 आयु वर्ग की महिलाओं के लिए, 18 साल की उम्र से पहले शादी करने का प्रतिशत 2019-21 में 12.8% था, जो 30 राज्यों में से 13वें स्थान पर था। हालाँकि पिछले कुछ वर्षों में प्रतिशत में कमी आई है, राज्य की रैंकिंग 2005-06 में 9वें से सुधरकर 2019-21 में 13वें स्थान पर पहुंच गई है।
- 2019-21 में शिशु मृत्यु दर और अविकसित बच्चों की हिस्सेदारी दोनों में तमिलनाडु शीर्ष तीन प्रमुख राज्यों में से एक है।
- कमजोर वजन वाले बच्चों की हिस्सेदारी में इसकी सापेक्ष रैंकिंग 2005-06 में 23वें से सुधरकर 2019-21 में 10वीं हो गई है, जिससे यह कम वजन वाले बच्चों की हिस्सेदारी में शीर्ष तीन राज्यों के काफी करीब पहुंच गया है।
- स्वास्थ्य बीमा/वित्तपोषण योजना के तहत कवर किए गए किसी भी सदस्य वाले परिवारों की हिस्सेदारी के मामले में तमिलनाडु चौथे स्थान पर है।

- हालाँकि, बेहतर स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग करके जनसंख्या हिस्सेदारी में सुधार की महत्वपूर्ण गुंजाइश है।
- मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में राज्य की रैंकिंग 1990 में 16वीं से बढ़कर 2021 में 11वीं हो गई है।
- आर्थिक रूप से, तमिलनाडु ने सुधार दिखाया है, 1993-94 में 27 राज्यों में से आठवें स्थान पर रहा और 2021-22 में प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में कुल मिलाकर छठे स्थान (प्रमुख राज्यों में तीसरा) पर पहुंच गया।
- विनिर्माण क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है, जो 18.7% कार्यबल को रोजगार देता है, जो प्रमुख राज्यों में तीसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी है।
- राज्य के कुल सकल मूल्य वर्धित में विनिर्माण के योगदान के मामले में, तमिलनाडु समग्र रूप से छठे स्थान पर और प्रमुख राज्यों में चौथे स्थान पर है।
- शैक्षिक रूप से, तमिलनाडु अच्छा प्रदर्शन करता है, उच्च शिक्षा में उच्चतम सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) और प्रमुख राज्यों के बीच उच्च माध्यमिक स्कूली शिक्षा में तीसरा सबसे बड़ा जीईआर का दावा करता है।
- हालाँकि, औद्योगिक विकास के कारण राज्य पर्यावरण संबंधी संकेतकों में पीछे है।
- उदाहरण के लिए, प्रति व्यक्ति उत्पन्न खतरनाक कचरे के मामले में यह 28 राज्यों में से 25वें स्थान पर है, और प्रति व्यक्ति खपत जीवाश्म ईंधन के मामले में 30 में से 22वें स्थान पर है।

'FY24: नए निजी निवेश में 15% की गिरावट; राज्यों ने पूंजीगत व्यय में वृद्धि का नेतृत्व किया (18 अप्रैल)

- भारत में ताजा निजी क्षेत्र की निवेश योजनाओं में 2023-24 में 15.3% की गिरावट आई।
- इसी अवधि के दौरान विदेशी निवेशकों ने नए परिव्यय को लगभग एक तिहाई कम कर दिया।
- इस गिरावट ने 2022-23 में पिछले वर्ष के लगभग ₹37 लाख करोड़ के रिकॉर्ड उच्च की तुलना में नई निवेश घोषणाओं के मूल्य में लगभग 5% की कमी में योगदान दिया।
- विनिर्माण क्षेत्र में प्रस्तावित परिव्यय में सबसे महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई, जो वित्त वर्ष 23 में ₹19.85 लाख करोड़ से 40% घटकर 2023-24 में ₹11.9 लाख करोड़ से भी कम हो गई।
- नए निवेश में विनिर्माण की हिस्सेदारी पिछले साल घोषित कुल ₹35.22 लाख करोड़ परिव्यय में घटकर 33.8% हो गई, जो 2022-23 में लगभग 54% से कम है।
- सिंचाई और खनन में निवेश में भी क्रमशः 48.7% और 19.25% की उल्लेखनीय कमी आई, जबकि बिजली और बुनियादी ढांचे में निवेश में क्रमशः 96% और 22% की वृद्धि हुई।
- राज्य सरकारों ने पूंजीगत व्यय वृद्धि का नेतृत्व किया, नई निवेश परियोजनाओं पर खर्च 27% बढ़ाकर लगभग ₹7.69 लाख करोड़ कर दिया।
- केंद्र की ताजा परियोजनाओं का मूल्य 8.4% बढ़कर ₹6.09 लाख करोड़ हो गया।
- आंध्र प्रदेश की जगह महाराष्ट्र ने लगभग ₹8 लाख करोड़ के प्रस्तावित परिव्यय के साथ अधिकतम नई परियोजनाओं को आकर्षित किया, जिसने 2022-23 में सबसे अधिक निवेश आकर्षित किया था। FY24 में, AP ने ₹1.06 लाख करोड़ आकर्षित किए और नौवें स्थान पर रहा।
- गुजरात ने कुल निवेश का लगभग 12% हिस्सा रखते हुए निवेश हिस्सेदारी में अपना दूसरा स्थान बनाए रखा।
- कर्नाटक अपने पिछले स्थान से चौथे स्थान पर खिसक गया।

- निवेश मूल्य में 11.4% की कमी के बावजूद ओडिशा दो पायदान ऊपर तीसरे स्थान पर पहुंच गया, जो ₹3.23 लाख करोड़ तक पहुंच गया।
- तमिलनाडु की रैंक आठवें से सुधरकर पांचवें स्थान पर आ गई, नए निवेश में उसकी हिस्सेदारी पिछले वर्ष के 5% से बढ़कर 7.7% हो गई।
- तमिलनाडु ने ₹2.71 लाख करोड़ की प्रतिबद्धताएं आकर्षित कीं, जो साल-दर-साल लगभग ₹1 लाख करोड़ की वृद्धि दर्शाती है।
- प्रोजेक्ट्स टुडे के निदेशक और सीईओ शशिकांत हेगड़े ने आम चुनाव की अवधि बढ़ने के कारण वर्ष की पहली तिमाही में नई निवेश घोषणाओं में संभावित मंदी की आशंका जताई।
- हेगड़े का मानना था कि जून में नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद नए निवेश के प्रवाह में तेजी आने की संभावना है।
- उन्होंने निवेश परियोजनाओं के समय पर निष्पादन के महत्व पर जोर दिया, इस बात पर प्रकाश डाला कि देरी, विशेष रूप से हरित हाइड्रोजन, अर्धचालक, इलेक्ट्रिक वाहन और परिवहन बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक वृद्धि में बाधा बन सकती है।

<p>प्रश्न 1: मैल्कम आदिसेशिया पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है?</p> <p>(ए) पर्यावरण संरक्षण (बी) सामाजिक कार्य (सी) विकास अध्ययन (डी) शास्त्रीय भारतीय नृत्य</p>	<p>उत्तर: (सी) विकास अध्ययन स्पष्टीकरण: मैल्कम आदिसेशिया पुरस्कार भारत में विकास अध्ययन के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान को मान्यता देता है।</p>
<p>आदिसेशिया पुरस्कार की स्थापना से जुड़ा है?</p> <p>(ए) भारत का योजना आयोग (बी) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) (सी) मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज (एमआईडीएस) (डी) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर)</p>	<p>उत्तर: (सी) मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज (एमआईडीएस)। स्पष्टीकरण: आदिसेशिया पुरस्कार की स्थापना मैल्कम और एलिजाबेथ आदिसेशिया ट्रस्ट द्वारा की गई थी, जिसमें मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज ने पुरस्कार के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।</p>
<p>आदिसेशिया पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. यह प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों और सामाजिक वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है। 2. इसमें नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 3. यह केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किया जाता है। <p>उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?</p> <p>(ए) केवल 1 और 2 (बी) केवल 2 और 3 (सी) केवल 1 और 3 (डी) 1, 2, और 3</p>	<p>उत्तर: (ए) केवल 1 और 2 स्पष्टीकरण: कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है। यह पुरस्कार आमतौर पर भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशी दोनों विद्वानों के लिए खुला है।</p>
<p>आदिसेशिया पुरस्कार की प्राप्तकर्ता थी ?</p> <p>(ए) अमर्त्य सेन</p>	<p>उत्तर: (डी) उपरोक्त सभी</p>

<p>(बी) प्रणव बर्धन (सी) उत्सा पटनायक (D) उपरोक्त सभी</p>	<p>स्पष्टीकरण: सभी सूचीबद्ध अर्थशास्त्री प्रतिष्ठित आदिसेशिया पुरस्कार के पूर्व प्राप्तकर्ता रहे हैं, जो विकास अध्ययनों में उत्कृष्टता को पहचानने पर इसके फोकस को उजागर करता है।</p>
<p>प्रश्न 5: राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति, 2014 का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में पारंपरिक वनों के बाहर वृक्ष आवरण को बढ़ाना है?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ग्रामीण समुदायों के लिए आजीविका के अवसरों में वृद्धि 2. बेहतर पारिस्थितिक स्थिरता और लचीलापन 3. घरेलू लकड़ी उत्पादन में वृद्धि <p>(ए) केवल 1 और 2 (बी) केवल 2 और 3 (सी) केवल 1 और 3 (डी) 1, 2, और 3</p>	<p>उत्तर: (डी) 1, 2, और 3</p> <p>स्पष्टीकरण: राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति इन सभी कारणों को मुख्य उद्देश्यों के रूप में पहचानती है। यह किसानों, पर्यावरण और लकड़ी उद्योग को लाभ पहुंचाने में कृषिवानिकी की बहुक्रियाशील भूमिका पर जोर देता है।</p>
<p>प्रश्न 6: निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति, 2014 का एक प्रमुख उद्देश्य है?</p> <p>(ए) कृषि भूमि पर उगे पेड़ों की कटाई और पारगमन के लिए नियमों का सरलीकरण (बी) संरक्षित वन क्षेत्रों का विस्तार (सी) राष्ट्रीय कृषि वानिकी कोष की स्थापना (डी) सभी कृषि योजनाओं में कृषि वानिकी प्रथाओं को अनिवार्य रूप से शामिल करना</p>	<p>उत्तर: (ए) कृषि भूमि पर उगे पेड़ों की कटाई और पारगमन के लिए नियमों का सरलीकरण।</p> <p>स्पष्टीकरण: विनियामक बाधाओं को दूर करना और किसानों के लिए अपनी भूमि पर उगाए गए पेड़ों का उपयोग करने की प्रक्रिया को सरल बनाना राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति का मुख्य फोकस है।</p>
<p>प्रश्न 7: अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति, 2014 इसकी वकालत करती है:</p> <p>(ए) राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन की स्थापना (बी) प्रतिपूरक वनीकरण मानदंडों का सख्त प्रवर्तन (सी) निम्नीकृत भूमि पर मोनोकल्चर वृक्षारोपण का विस्तार (डी) गैर-देशी वृक्ष प्रजातियों के उपयोग पर प्रतिबंध</p>	<p>उत्तर: (ए) राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन की स्थापना</p> <p>स्पष्टीकरण: नीति कृषि वानिकी को संस्थागत सहायता प्रदान करने के लिए कृषि मंत्रालय के भीतर राष्ट्रीय स्तर पर एक समर्पित मिशन या बोर्ड स्थापित करने का आह्वान करती है।</p>
<p>प्रश्न 8: कृषि वानिकी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. इसमें खेतों और कृषि परिदृश्यों पर पेड़ों का एकीकरण शामिल है। 2. इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने की क्षमता है। 3. उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? <p>(ए) केवल 1 (बी) केवल 2 (सी) 1 और 2 दोनों (डी) न तो 1 और न ही 2</p>	<p>उत्तर: (सी) 1 और 2 दोनों</p> <p>स्पष्टीकरण: दोनों कथन सटीक हैं। कृषिवानिकी को इसके एकीकृत दृष्टिकोण द्वारा परिभाषित किया गया है और यह आर्थिक और जलवायु अनुकूलन दोनों लाभ प्रदान करता है।</p>
<p>प्रश्न 9: निम्नलिखित में से कौन सी घटना पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर के ठंडा होने से जुड़ी है?</p> <p>(ए) अल नीनो (बी) ला नीना</p>	<p>उत्तर: (बी) ला नीना</p> <p>स्पष्टीकरण: ला नीना की विशेषता पूर्वी और मध्य भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान औसत से अधिक ठंडा होना है।</p>

(सी) सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव (डी) नकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव	
प्रश्न 10: निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु घटना कभी-कभी सकारात्मक हिंद महासागर डिपोल (आईओडी) घटना के साथ मेल खा सकती है? (ए) अल नीनो (बी) ला नीना (सी) उत्तरी अटलांटिक दोलन (डी) आर्कटिक दोलन	उत्तर: (डी) अल नीनो स्पष्टीकरण: वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण में परिवर्तन के कारण अल नीनो और सकारात्मक आईओडी दोनों एक साथ घटित हो सकते हैं। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता, इन दोनों घटनाओं के बीच एक ज्ञात संबंध है।
प्रश्न 11: हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. एक सकारात्मक आईओडी घटना की विशेषता पश्चिमी हिंद महासागर में समुद्र की सतह का तापमान औसत से कम होना है। 2. एक सकारात्मक IOD घटना से भारत के कुछ हिस्सों में वर्षा में वृद्धि हो सकती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? (ए) केवल 1 (बी) केवल 2 (सी) 1 और 2 दोनों (डी) न तो 1 और न ही 2	उत्तर: (बी) न तो 1 और न ही 2 स्पष्टीकरण: कथन 1 गलत है - सकारात्मक आईओडी में पश्चिमी हिंद महासागर में औसत से अधिक गर्म एसएसटी और पूर्वी भाग में ठंडे एसएसटी शामिल हैं। कथन 2 सही है - जटिल होते हुए भी, एक सकारात्मक आईओडी आम तौर पर भारत के अधिकांश हिस्सों में वर्षा में वृद्धि का कारण बनता है।

Patriotic